

कार्यालय नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०, भोपाल.

आदेश

क्रमांकजी०बी० / दो(२९)२०१८ /

भोपाल, दिनांक

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक जी०बी० / दो(२९)२०१८ / २०५८ दिनांक २८-७-२०१८ के अनुक्रम में पंजीकृत गैर सरकारी मुद्रणालयों से कराये जाने वाले स्क्रीन प्रिंटिंग एवं अन्य कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदित दरों की वैधता अवधि दिनांक ३१-३-२०१९ तक थी। आदेश क्रमांक १०५६ दिनांक १६-५-२०१९ से वैधता अवधि दिनांक ३०-६-२०१९ तक के लिए बढ़ाई गई।

उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में गैर सरकारी मुद्रणालयों से कराये जाने वाले स्क्रीन प्रिंटिंग एवं अन्य कार्य हेतु अनुमोदित दरों की वैधता अवधि दिनांक ३०-९-२०१९ तक के लिए बढ़ाई जाती है।

नियंत्रक द्वारा नस्ती पर आदेशित।

संयुक्त नियंत्रक,


शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०, भोपाल.

भोपाल, दिनांक १९-९-२०१९

पृ०क्र०जी०बी० / दो(२९)२०१८ /
प्रतिलिपि :-

२०१४

- १- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- २- सचिव म०प्र० शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- ३- रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, ग्वालियर, इन्दौर खण्डपीठ,
- ४- समस्त विभागाध्यक्ष,
- ५- समस्त संभागीय आयुक्त,
- ६- समस्त जिलाध्यक्ष,
- ७- उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर रखे जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करें,
- ८- उप नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर/इन्दौर/रीवा,
- ९- समस्त निविदाकार (जिनके द्वारा उक्त आदेश में स्वीकृत दर हेतु इस कार्यालय की निविदा सूचना क्रमांक १२९६ दिनांक २२-५-२०१८ की कामर्शियल निविदा में भाग लिया गया है)
- १०- नियंत्रक के स्टेनो/गार्ड नस्ती हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



संयुक्त नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०, भोपाल.